कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-02/2016-17/

दिनांक : /07/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

पालिक परिषद, सितारगंज

जनपद- उधमसिंह नगर

विषय : नगर पालिका परिषद सितारगंज का वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में तीन प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में चार प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 07/2016-17/ दिनांक : /07/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2015-16 के लिये नगर पालिका परिषद सितारगंज, उधमसिंह नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमती सरिता राणा - अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सितारगंज

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस के त्यागी, व.ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री मनोहर सिंह ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.04.2016 से 29.04.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2011-12 से 2015.16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **अधिशासी अधिकारी नगर पांलिका परिषद- सितारगंज, जिला- उधमसिंह नगर**

   (अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

   (ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

   भौगोलिक क्षेत्र : - 02 वर्ग कि.मी.

   जनसंख्या : 29965

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 11+5=16(नामित)
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 15

   (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-
4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : - 31
6. पंचायतराज की सम्पतियां : -विवरण सलंग्न
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :- 04
9. (अ) सामाजिक संरक्षा : -

   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

   (द) लाभार्थियों की संख्या:

10 वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-बजट में उपलब्ध कराया गया

    (अ) सामान्यः -

    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः

भाग -3

स्थानीय नकाय का नाम :- नगर पालिका परिषद सितारगंज जिला-ऊधमसिंह नगर

वर्ष 2013-14

क्र.सं.	मद का नाम	प्रा.शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
1.	राज्य वित्त आयोग	34,41,056	2,34,79,000	2,69,20,056	2,39,94,844	29,25,212
2.	13वां वित्त	0	25,97,000	25,97,000	25,97,000	0
3.	अवस्थापना विकास निधि	0	68,29,000	68,29,000	0	68,29,000
4.	विधायक निधि	2,98,795	0	2,98,795	11,54,444	1,83,351
5.	पालिका निधि	29,16,803	18,07,879	47,24,682	9,51,227	37,73,455
	योग	**66,56,554**	**3,47,12,879**	**4,13,69,533**	**2,76,58,515**	**1,37,11,018**

वर्ष 2014-15

क्र.सं.	मद का नाम	प्रा.शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
1.	राज्य वित्त आयोग	61,33,274	2,34,79,000	2,96,12,274	2,61,97,475	34,14,799
2.	13वां वित्त	14,09,100	39,17,000	53,26,100	53,26,100	0
3.	अवस्थापना विकास निधि	18,28,347	0	18,28,347	89,709	17,38,638
4.	स्वच्छ भारत मिशन	0	45,000	45,000	20,000	25,000
5.	विधायक निधि	1,83,351	0	1,83,351	0	1,83,351
6.	राजीव आवास योजना	0	10,85,00,000	10,85,00,000	4,63,22,213	6,21,77,787
7.	पालिका निधि	33,67,946	28,13,425	61,81,371	32,08,142	29,73,7229-*89
	योग	**1,29,22,018**	**3,87,54,425**	**15,16,76,443**	**8,11,63,639**	**7,05,12,804**

वर्ष 2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	प्रा.शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
1.	राज्य वित्त आयोग	29,25,212	2,34,79,000	2,64,04,212	2,02,70,938	61,33,274
2.	13वां वित्त	0	40,79,000	40,79,000	26,69,900	14,09,100
3.	अवस्थापना विकास निधि	68,29,000	0	68,29,000	50,00,653	18,28,347
4.	विधायक निधि	1,83,351	0	1,83,351	0	1,83,351
5.	पालिका निधि	37,73,455	33,37,603	71,11,058	37,43,112	33,67,946
	योग	**1,37,11,018**	**3,08,95,603**	**4,46,06,621**	**3,16,84,603**	**1,29,22,018**

<u>लेखों पर टिप्पणी-</u>

1. वर्ष के अन्त में एक बड़ी धनराशि का असमायोजन रहना।
2. लेखों का रख-रखाव NMAM के अनुसार दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर न करना।
3. तुलन पत्र नहीं बनाया जाता है।

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद- , सितारगंज** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2012-13 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री एस. के त्यागी व.ले.प.अ., श्री पी.एल. शर्मा स.ले.प.अ एंव. श्री मनोहर सिंह ले.प. द्वारा दिनांक 18.04.2016से 29.04.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-1 (अ)**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-2**

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

शून्य	1

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -कार्य पंजिका, अग्रीम पंजिका

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1:- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि ` 18.98 लाख की अनाधिकृत व्यय (Uncutworised expenditure) व धनराशि ` 17.39 लाख का अवरोधन।

नगर पालिका परिषद सितारगंज के पत्रांक- 2243/श.वि.नि.-729/2010 दिंनाक 20.03.2013 के क्रम में पुराने क्षतिग्रस्त जीर्ण-शीर्ण रास्तों व नालों के पुनर्निर्माण हेतु अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्रस्तुत आगणन ` 504.92 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. (वित्त विभाग) द्वारा ` 490.66 लाख पर संस्तुति प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या 447(1) IV(2) श.वि.-2014 दिंनाक 07.01.2014 द्वारा उक्त संस्तुत कार्यों में से 27 कार्यों हेतु ` 68.29 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को व्यय करने की स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी थी कि किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि स्वीकृति कार्यों में से कोई कार्य किसी अन्य मद अथवा योजना से कराया जा चुका है तो कार्य की राशि को राजकोष में जमा करा दिया जाये। नगर पालिका परिषद के अनुरोध पर शासनादेश सं.-781/IV(2) दिंनाक 02.06.2014 द्वारा 27 निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि ` 68.29 लाख के सापेक्ष 16 अपूर्ण कार्यों की उपयोगिता अवधि दिंनाक 31.12.2014 तक इस शर्त के साथ बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि यदि अवधि बढाए जाने वाद भी कोई धनराशि अवशेष रहती है तो समस्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

लेखा अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि पालिका परिषद द्वारा जिन 16 कार्यों की उपयोगिता अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी उनमें से तीन कार्य पूर्व बोर्ड द्वारा कराये जा चुके थे तथा शेष 13 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत अवधि के अन्तर्गत पूर्ण करा लिये गये थे। पूर्ण कराये गये 13 कार्यों पर परिषद द्वारा ` 50.00 लाख का व्यय किया गया था। जबकि सम्पादित कराये गये 13 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि ` 31.02 लाख थी। एक अन्य कार्य परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में ` 0.90 लाख व्यय कर सम्पादित कराया गया था। अतः परिषद द्वारा सम्पादित कार्यों पर ` 18.98 लाख का व्यय संस्तुत स्वीकृत धनराशि से अधिक किया गया। साथ ही धनराशि ` 17.39 (68.29-50.00-0.50) लाख को परिषद द्वारा विगत दो वर्षों से अवरोधित रखा गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृति की प्रस्याशा व लोकहित को ध्यान में रखते हुये कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। अवशेष धनराशि को समर्पित न किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा बताया गया कि पुनः कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। जिस कारण धनराशि रोकी गयी थी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट किया गया था कि पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी व कार्यों की अवशेष राशि राजकोष में जमा की जायेगी।

अतः धनराशि ` 18.98 लाख के अनाधिकृत व्यय व धनराशि ` 17.39 लाख के अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 2:- आर.ए.वाई. के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि ` 4.63 करोड़ का अनियमित वितरण व तकनीकी सेवाओं के लिए क्षति पर कर (` 0.55 लाख) की कटौती न किया जाना।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) का उद्देश्य शहरी गरीबों व स्लमों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रो को प्रात्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना था। इस योजना का पहला भाग मौजूदा स्लमों के उन्नयन व दूसरा भाग नये स्लमों को रोकने से सम्बन्धित था। योजना की व्यवस्थानुसार प्रत्येक राज्य को स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना तैयार करनी थी। योजना के मार्ग निर्देशानुसार पर्वतीय राज्यों में निजी भूमि के अधिग्रहण को छोडकर भूमि की लागत कम वित्त पोषण नहीं किया जाना था। खाली भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामित्व से सम्बन्धित सूचना राजस्व/नगर पालिका के रिकार्ड़ो से एकत्र की जानी थी तथा आवेदक की भूमि के स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाणित अभिलेख लाभार्थी की पत्रावली मे रखा जाना था।

नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा योजना की डी.पी.आर. प्राइवेट कम्पनी Lexican Infratech Pvt. Ltd, Lucknow से तैयार करायी गयी थी। जिसके आधार पर टाईप-I व टाईप-2 के कुल 576 भवनों एवं मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु ` 3014.87 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्राशं व राज्याशं के तय अशांनुसाल स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में ` 1085.00 लाख की राशि शासन द्वारा पालिका परिषद को अवमुक्त की गयी थी। अभिलेखों/योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि अवमुक्त धनराशि ` 1085.00 लाख में से ` 463.22 लाख की राशि पालिका परिषद द्वारा योजनान्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु विभिन्न लाभार्थियों को भूमि-स्वामित्व के स्पष्ट प्रणाण यथा भूमि की रजिस्ट्री के बिना ही केवल भूमि बिक्रीनामे/इकरारनामें के आधार पर वितरित की गयी थी। इसके अतिरिक्त योजना अभिलेखों की जाँच में यह भी संज्ञान में आया कि परिषद द्वारा योजना की डी.पी.आर. तैयार करने के एवज में Lexican Inpratech Pvt. Ltd, Lucknow को प्रस्तुत बिल ` 27.66 लाख के सापेक्ष ` 5.53 लाख का भुगतान अक्टूबर 2014 में श्रोत पर कर की कटौती किये बिना किया गया था। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 1943 में पेशेवर और तकनिकी सेवाओं के लिए फीस के भुगतान पर दस प्रतिशत TDS की कटौती का प्रावधान है। इस प्रकार पालिका परिषद द्वारा भूमि स्वामित्व के विविध प्रमाण के अभाव में भवनों के निरमाण हेतु धनराशि ` 4.63 करोड़ का अनियमित वितरण किया गया तथा तकनिकी सेवाओं के लिए श्रोत पर ` 0.55 लाख (भुगतान राशि का दस प्रतिशत) के कर को कटौती नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर पालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि स्वामित्व कि स्पष्ट प्रमाण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से सुझाव व निदेशालय से निर्देश प्राप्त किये जायेगें। श्रोत पर कर की कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा अवशेष भुगतान के साथ टी.डी.एस. की सम्पूर्ण राशि समायोजित करने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर लेखा परीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थी के नाम भूमि की रजिस्ट्री ही भूमि स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण है साथ ही श्रोत पर कर की कटौती भूगतान के समय अनिवार्य है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 3:- आवस्थापन निधि से कराये गये कार्य पर ` 16.47 लाख का अलाभकारी व्यय।

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2014-15 में अवस्थापना निधि से कराये गये कार्य टाईल्स रोड़ सुधार कार्य एवं नाली निर्माण गणेश मन्दिर परिसर से परमजीत के घर तक सिटीकिंग स्कूल रोड़ सेवासिंह के घर से राकेश चौहान के घर तक जिसकी स्वीकृत लागत ` 20.00 लाख थी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्त कार्य श्री नरेन्द्र सिंह बमराह को न्यूनतम दरों के आधार पर ` 19,99,000/- में स्वीकृत किया गया था। कार्यादेश सं. 106 दिंनाक 19.06.2014 को निर्गत किया गया तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि एक माह थी। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर प्रथम चलित देयक के रुप में ` 4,11,077/- का भुगतान चैक सं. 161247 दिंनाक 28.07.2014 को प्राप्त किया गया दूसरा भुगतान बाऊचर सं. 129 दिनांक 29.08.2014 को ` 5,37,080/- तथा तीसरा भुगतान ` 6,99,201/- बाऊचर सं. 135 25.09.2014 द्वारा प्राप्त किया। इस प्राकर ठेकेदार को ` 16,47,358 का कुल भुगतान किया गया था। परन्तु क्त कार्य लेखा परीक्षा की तिथि 18.04.2016 तक अपूर्ण था। क्योंकि भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण विवाद होने से कार्य बाधित हो गया था। अतिक्रमण हटवाने हेतु विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी को पत्र सं. 130 दिंनाक 30.06.2015 द्वारा निवेदन किया गया था। परन्तु उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। तथा विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को ठेका निरस्त कर तालिका सूची में क्र.सं. दो व तीन के ठेकेदार को कार्य सम्पादन हेतु पत्र सं. 88 व 92 दिंनाक 27.05.2015 निर्गत किए गए। जिनके द्वारा सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। अतिक्रमण हटवाने तथा कार्य को पूर्ववत कराने हेतु ठेकेदार द्वारा विभाग को दिंनाक 29.05.2015 को अवगत किया गया था। परन्तु ठेका निरस्त होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। तथा सम्पूर्ण व्यय की गई धनराशि का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल पाया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भूमि विवादित होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया है तथा भूमि को विवाद सुलझाने के उपरान्त ठेकेदार का चयन कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। तथा तालिका के अन्य दो ठेकेदार कार्य विवाद होने के कारण मना किया भूमि सरकारी है तथा भूमि पर अतिक्रमण हटवाने हेतु उच्च अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्ययोजना बनाते समय एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए था चयनित भूमि विवादों से रहित है जैसा की शासन द्वारा समय-समय पर भी निर्देशित किया जाता है भूमि का सर्वेक्षण/अथलीय निरीक्षण कार्य प्रारम्भ से पूर्ण कराना आवश्यक है ताकि बाद में कार्य मे विवाद न उत्पन्न है।

अतः ` 16.47 लाख के अलाभकारी व्यय से सम्बन्धित प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- विधायक निधि से प्राप्त धनराशि को दो वर्षों से अधिक तक ` 1,83,351/- का अप्रयुक्त रहना।

विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों की जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद को वर्ष 2010-11 में ` 11,63,000/- की धनराशि प्राप्त हुई थी। विधायक निधि से प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की अवधि 90 दिन की अपेक्षित थी परन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक केवल ` 9,79,649/- की धनराशि व्यय की गई थी। जिस के कारण ` 1.83.351/- की धनराशि विभाग के पास असमायोजित पड़ी थी, जिसका उपयोग विभाग द्वारा दो वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी व्यय नहीं किया गया था। उक्त धनराशि न तो सम्बन्धित विभाग को वापस की गई थी तथा न ही विधायक महोदय को संसूचित किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकी ने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग के वापस कर दी जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अप्रयुक्त धनराशि का अधिक समय तक उपयोग न करना तथा अवरुद्ध रखना वित्तीय अनुमितता है तथा उक्त धनराशि से होने वाले विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है।

अमायोजित धनराशि से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों का पालन न करना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु उसका सग्रंहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान (Collected storage, Sogregation, Transportation, Processing Udieposal) के लिए उत्तरदायी होगा। उक्क कार्य नगर पालिका परिषद स्वंय या किसी अन्य ऐजेन्सी के माध्यम से भी करा सकती है।

उक्त नियमो के अनुसार स्थानीय निकायों को रज्य प्रदुषण बोर्ड़ से प्राधिकार पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जबकि तथा अजैविक अपशिष्ट का सग्रंहण एवं पृथक्करण करना होगा। ठोस अपशिष्ट का भण्डारण खुले वातावरण में न करना होगा। ताकि कूड़ इधर उधर न फैले कूड़े के संग्रहण हेतु आलग-अलग रंग के बिन्स का प्रयोग अनिवार्य है।

नगर पालिका परिषद के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा कूड़ा पृथक्करण हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परिवहन हेतु बन्द बाहनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। राज्य प्रदुषण बाड़ से पत्र सं. UEPCCB/1880-302 दिंनाक 22.07.2015 के अनुसार पर्यावरण से सम्बन्धित अनुपत्ति प्रमाण पत्र पाप्त नहीं किया था। कूड़े के संग्रहण हेतु व्यवस्था नहीं थी तथा कूड़े को खुले में ही ड़ाला जाता था जिससे संक्रमण का भय व्याप्त था। अपशिष्ट के पुर्नचक्रण हेतु भी कोई प्लान्ट नहीं लगाया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इगिंत किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार कर रही है तथा भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

एवं उपलब्धता एवं पंजीकरण पर उचित संग्रहण एवं ट्रेचिग ग्राउण्ड़ की कार्यवाही की जाएगी। तथा भविष्य में नियमों के अनुसार ही ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित संग्रहण पृथक्करण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही का जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड़ एवं भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर कार्यवाही हेतु आपेक्षित किया जाता है तथा ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध प्रशिक्षण मार्ग दर्शन एवं अनुरक्षण उपलब्ध कराये जाते है।

अतः ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि आय ` 11,70,827/- की वसूली का लम्बित रहना।

नगर पालिका परिषद सितारगंज में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय जैसे गृहकर तहबाजारी स्लाटर हाउस हडडी चरसा इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्धारा प्राप्त की जाने वाली आय की वसूली में शिथिलता भारती गई थी। जिसके परिणाम स्वरुप वर्ष 2015-16 के अन्त तक विभिन्न मदों के अन्तर्गत ` 11,70,827/- की धनराशि वसूली हेतू लंम्बित हे।

क्र.स.	मद का नाम	वसूली हेतू लंम्बित धनराशि (` में)
1.	गृह कर	9,36,948/-
2.	हडडी चरसा	13919/-
3.	स्लाटर हाउस	68250/-
4.	तहबाजारी	1,51,710/-
	योग	**11,70,827/-**

जिससे प्रतीत होता है कि विभाग द्धारा उस वसूली हेतू उचित प्रयास नहीं किए गए थे। गृहकर जो कि आय का बडा स्रोत था की केवल 37% ही वसूली माँग के सापेक्षकी गई थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वसूली हेतु लंम्बित राशि वर्ष 197-98 से 2013-14 तक की लम्बित थी। इस प्रकार वसूली लगभग दस वर्षों से अधिक समयसे लम्बित पडी थी।

लेखा परीक्षा द्धारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि बकाया की वसूली हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से नोटिस भेजकर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लम्बे समय तक प्राप्तियों की वसूली न होना विभाग को उदासीनता दर्शाती हे तथा इतनी बडी धनराशि वसूल न होने से विभाग की आय में वृद्धि नहीं हो पाई तथा किए जाने वाले विकास कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पडा है।

अतः ` 11,70,827/- की लम्बित वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4:- बिना कोटेशन प्राप्त किए ` 1,34000/- की फोटोस्टेट मशीन क्रय करना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवली 2008 के अध्याय 2 नियम 8 के अनुसार जहाँ क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य ` 15000/-(दिनांक 15-06-15 को संशोधन के अनुसार (` 50,000) से अधिक हो तथा एक लास तक हो को प्रत्येक अवसर पर तीन पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन प्राप्त कर सामग्री की अधिप्राप्ति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने का प्रावधान है।
अध्याय 1 के नियम 13 के अनुसार वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षमक्रेता प्रअधिकारी औचत्य के मानकों का ध्यान रखेगा। अध्याय 2 नियम 21 के अनुसार समय रुप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जाएगी तथा विभगीय हित सुरक्षित करने के लिए जिस स्वरुप में सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे वाणिज्यक बैकों से निर्गत D.D.O. बैक गारंण्टी ली जायेगी।

नगर पालिका परिषद सितारगंज के सामग्री आपूर्ति देयकों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्धारा `1,34000/-की मूल्य की फोटो स्टेट मशीन बिना कोटेशन प्राप्त किए क्रय की गई थी तथा जिसका भुगातान वाऊचर से0 222 दिनांक 13-11-2014 को digital Srtutions से किया था।

लेखा परीक्षा द्धारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर सन्तोष जनक नही हे क्योकि प्रत्येक सक्षम अधिकारी से लोकधन में व्यय करते समय उसी प्रकार की सर्तकता वरतने की अपेक्षा की जाती है जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर निगम, सितारगंज** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय